FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सुखविन्द्र सिंह **बनाम** सतवंत सिंह आदि

अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए नम्बर 05 सन् 2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2023/73

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
..03.2023	प्रार्थी सुखविन्द्र सिंह पुत्र सुरजीत सिंह जाति कम्बोज निवासी 49 एफ तहसील श्रीकरणपुर आदि के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। हस्तगत प्रकरण में रास्ता के संबध में रिपोर्ट तहसीलदार हेतु पत्र लिखा जावे। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 19.04.2023 को पेश हो।	
19/4/23	प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत सिंह ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया शामिल मिसल रहे। पत्रावली वास्ते इन्तजार रिपोर्ट दिनांक 8/05/23 को पेश हो।	
8/05/23	वकील फरीकेन उपस्थित श्री मान PO साहब [illegible] है पत्रावली दिनांक 30/06/23 को पेश हो।	
30/6/23	अधिवक्तागण उपस्थित। रिपोर्ट न DR KPR प्राप्त हुई शामिल मिसल की गई। बहस अधिवक्तागण सुनी गई। मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(A) RTA स्वीकार किया [illegible]। आदेश इस आशय का जारी [illegible]। आदेश की एक प्रति न DR [illegible] पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:43:09 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी मुकामश्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

राजस्व वाद संख्या : 05/2023

प्रार्थी	बनाम अप्रार्थीगण
1. सुखविन्द्र सिंह पुत्र सुरजीत सिंह आयु 55 वर्ष जाति कम्बोज निवासी चक 49 एफ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।	1. सतवंत सिंह पुत्र हरभजन सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी चक 49 एफ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर। 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजूः—22.03.2023

उपस्थितः 1.श्री इन्द्रजीत सिंह वडिंग अधिवक्ता प्रार्थी

2. श्री विनय कुमार गर्ग अधिवक्ता अप्रार्थी

——निर्णय—— दिनांक : 30.06.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 49 एफ की जमाबन्दी सम्वत् 2073 ता 2076 के खाता सख्या 106/103 के मु0नं0 48 के किला नं0 3, 4 प्रत्येक सालम, किला नं0 5, 6, 15 प्रत्येक 0.228 है0 व किला नं0 16/1 में 0.202 है0 कुल 1.392 है0 भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इसी चक के खाता सख्या 100/96 के मु0नं0 15 में 1.265 है0 व मु0नं0 58 में 6.074 है0 व मु0नं0 69/38 में 0.253 है0 खाल कुल 7.592 है. भूमि में प्रार्थी के नाम 1.865 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी के मु0नं0 48 व मु0नं0 58 में अपने हिस्सा अनुसार कब्जा काश्त में है। प्रार्थी द्वारा अपने मु0नं0 48 की भूमि का पानी अपनी सहूलियत अनुसार मु0नं0 58 में बंधवा रखा है और अपनी सुविधा अनुसार ही अपनी मु0नं0 48 में पानी लेकर आता है। चक 49 एफ के मु0नं0 48 के किला नं0 3, 4, 5, 6, 15, 16/1 भूमि दर्ज है। चक 49 एफ में से दक्षिण साईड से एक रास्ता मु0नं0 43, 48, 57 प्रत्येक के पूर्वी दिशा में होता हुआ आगे दक्षिण दिशा की ओर चला जाता है। उक्त मु0नं0 48 के प्रत्येक किला नं0 5, 6, 15, 16, 25 में पूर्वी दिशा में सरकारी रास्ता है। चक 49 एफ के मु0नं0 58 में प्रार्थी की भूमि दर्ज है। मु0नं0 1, 2, 3, 4, 5 पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। प्रार्थी अपने मु0नं0 58 के किला नं0 1 में से पक्के खाले के नीचे से गांव की तरफ दक्षिण दिशा में मु0नं0 48 के किला नं0 25 में पूर्वी दिशा रास्ता में से नीचे तीन फुट गहरी पाईप लाईन दबाकर अपने मु0नं0 48 के किला नं0 16 तक मंजूर करवाना चाहता है। उक्त पाईप लाईन से मु0नं0 58 में से मु0नं 48 के किला नं0 16 में पानी पहूंच सके और अपनी मु0नं0 48 की भूमि को सिंचाई सुविधा प्राप्त कर सके। पाईप लाईन के लिए उक्त सबसे कम दूरी की सरकारी रास्ता की भूमि है और प्रार्थी को सिंचाई सुविधा के लिए पाईप लाईन की अतिआवश्यकता है, जिससे अन्य किसी को कोई नुकसान नहीं है और अन्य कोई प्रार्थी के पास [illegible] नहीं है। इसलिये न्यायाहित में पाईप लाईन की मंजूरी दी जानी आवश्यक है। प्रार्थना पत्र न्या[illegible] क्षेत्राधिकार श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः प्रार्थना पत्र 251 [illegible] है कि चक 49 एफ तहसील श्रीकरनपुर के मु0नं0 58 के किला नं0 1 के उत्त[illegible]चम कोने में से खाला के नीचे से आगे उत्तरी की ओर मु0नं0 48 के किला नं0 25 के पूर्वी दिशा रास्ते में से होकर किला नं0 16 तक पाईप लाईन डालने की स्वीकृति [illegible] की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री विनय कुमार गर्ग उपस्थित आए व जवाब प्रार्थना पत्र पेष किया। जवाब प्रार्थना पत्र सामिल मिसल किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:43:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

सुखविन्द्र सिंह बनाम सतवंत सिंह आदि
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए आरटीए
प्रकरण संख्या 05/2023

उक्त प्रार्थना पत्र में तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा अपने पत्रांक 756 दिनांक 05.06.2023 के साथ मूल रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक 9 एफ ए, फर्द मौका मय नजरी नक्शा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उक्त रिपोर्ट तैयार करते समय भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हलका द्वारा चक 49 एफ के मुरब्बा नम्बर 48 व 58 के मौका पर जाकर, भौतिक सत्यापन व पडोसी काश्तकारान से पूछताछ कर, यह पाया गया कि मौके पर आबादी से डिग्गियों के पास से दक्षिण में खेतों को मंजूरषुदा रास्ता है। जो कि मौके पर चालु है। उक्त रास्ता आगे मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 5,6,15,16,25 में से निकल रहा है। प्रार्थी उक्त किला नम्बर 16, 25 में स्वीकृत रास्ते में भूमि के 3 फीट नीचे पाईप लाईन डालना चाहता है। जो आगे मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 25 के दक्षिण पूर्व में मुरब्बा नम्बर 56 के किला नम्बर 1 में से होकर प्रस्तावित डिग्गी मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 3 व 4 तक पंहुच करेगी। इस प्रकार प्रार्थी अपनी प्रस्तावित डिग्गी से पाईप लाईन के जरिये अपनी मुरब्बा नम्बर 48 की कृषि भूमि तक पानी की सुगमता से पहुंच के लिए मंजूरी चाहता है। उपस्थित व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई एतराज नहीं जताया गया।

हमने विद्वान अधिवक्तागण, की बहस सुनकर व पढकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र एंव तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा प्रेषित भू–अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। भू–अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा चक 49 एफ के मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 3 व 4 में बनी डिग्गी तक पाईन लाईन की पंहुच के लिए मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 16 व 25 में 3 फीट नीचे पाईन लाईन डालने की अनुमति चाही है। यह प्रार्थी की आत्यतिंक आवश्यकता है। अतः प्रार्थना पत्र, प्रार्थी का स्वीकार करने योग्य है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 49 एफ, पटवार हल्का लालबाई, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए के मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 16 व 25 की पूर्वी बट के साथ–साथ चल रहे गैरमुमकिन रास्ता में 3 फीट नीचे भूमिगत पाईन लाईन डालने की अनुमति प्रदान की जाती है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प.3(17)राज–6/2021पार्ट/91 जयपुर दिनांक 30.09.2021 की पालना में भूमिगत पाईप लाईन की मुआवजा राशि जिला स्तरीय कमेटी द्वारा निर्धारित दर का 10 प्रतिशत प्रार्थी से वसूल कर राजकोष में जमा करवाई जावे। तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालना बाबत आदेश जारी हो, पत्रावली फैसलशुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ...पुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:43:09 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 30.06.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जा... गांवों के संग अभियान–2023 ग्राम पंचायत 12 एच मोहल... सुनाया ...

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर
जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)
सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

दूरभाष नं:- 01501226005
ईमेल-sdo.srikaranpur@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- रीडर/2023/369 दिनांक :-30.06.2023

तहसीलदार (राजस्व),
श्रीकरणपुर।

विषयः- प्रकरण संख्या 05/2023 अनवान सुखविन्द्र सिंह बनाम सतवंत सिंह आदि अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में पारित **निर्णय दिनांक 30.06.2023 के संबंध में।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 30.06.2023 के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955, बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 49 एफ, पटवार हल्का लालबाई, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए के मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 16 व 25 की पूर्वी बट के साथ-साथ चल रहे गैरमुमकिन रास्ता में 3 फीट नीचे भूमिगत पाईन लाईन डालने की अनुमति प्रदान की जाती है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प.3 (17) राज-6 / 2021 पार्ट / 91 जयपुर दिनांक 30.09.2021 की पालना में भूमिगत पाईप लाईन की मुआवजा राशि जिला स्तरीय कमेटी द्वारा निर्धारित दर का 10 प्रतिशत प्रार्थी से वसूल कर राजकोष में जमा करवाई जावे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:43:09 IST
Reason: SelfAttested